मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सिद्धार्थनगर,तहसील:- डुमरियागंज

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 5100/2022

डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसायटी 48बी देवलोक कालोनी फैज' 1 देहरादून द्वारा सदस्य प्रवीन चौधरी

बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202217630405100

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 23/12/2022

अंतिम आदेश

23-12-2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद प्रवीन्‍न चैधरी पुत्र इन्द्र सिंह निवासी सुन्दरपुर जनपद सहारनपुर द्वारा योजित कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम पिकौरा तप्पा भानपुर खाता सं0 108 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा सं0 190/0.2970हे0, 205/0.4090हे0, 206क/0.2910हे0, 208क/0.1430हे तथा खाता सं0 140 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा संख्या 206ख/0.2910हे0, 208ग/0.3100हे0 पर हम वादी कृषि कार्य नही कर रहा हूँ बल्कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी के तहत एजूकेशनल शिक्षण हेतु भवन का निर्माण करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को अकृषिक व्यवसायिक घोषित करने की कृपा करें।

वाद पत्र की प्रतिलिपि स्थलीय एंव अभिलेखीय जॉचकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु नायब तहसीलदार डुमरियागंज को प्रेषित किया गया। नायब तहसीलदार की जॉच आख्या मय नक्शा नजरी साक्ष्यों सहित दिनांक 23-11-2022 प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली है। आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पिकौरा तप्पा भानपुर खाता सं0 108 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा सं0 190/0.2970हे0, 205/0.4090हे0, 206क/0.2910हे0, 208क/0.1430हे तथा खाता सं0 140 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा संख्या 206ख/0.2910हे0, 208ग/0.3100हे0 पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि नही किया जा रहा है बल्कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी के तहत एजूकेशनल शिक्षण हेतु भवन का निर्माण करवाया गया है। वादी द्वारा सीमांकन शुल्क मु0 1000/-रूपये चालान सं0 KV00018 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तथा उद्घोषणा शुल्क मु0 174100/-रूपये चालान सं0 KV00020 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तथा न्यायालय शुल्क एक प्रतिशत जरिए स्टाम्प अदा किया गया है जो संलग्न है। प्रश्नगत सभी गाटा एकल खाता की भूमि है। जॉच आख्या से स्पष्ट है कि भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा हैं तथा किसी से कोई आपत्ति अथवा विवाद नही है। ऐसी स्थिति में भूमि को अकृषिक व्यवसायिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वादी/आवेदक डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसायटी 48 बी. देवलोक कॉलोनी फेज-1 देहरादून द्वारा सदस्य प्रवीन चैधरी पुत्र इन्द्र सिंह निवासी सुन्दरपुर जनपद सहारनपुर की भूमि स्थित ग्राम पिकौरा तप्पा भानपुर खाता सं0 108 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा सं0 190/0.2970हे0, 205/0.4090हे0, 206क/0.2910हे0, 208क/0.1430हे तथा खाता सं0 140 फसली वर्ष 1426-1431 के गाटा संख्या 206ख/0.2910हे0, 208ग/0.3100हे0 को अकृषिक व्यवसायिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रकरण में यदि कोई तथ्य छिपाया गया होगा तो आदेश धारा 82 उ0प्र0रा0सं0-2006 के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा। परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

(कृपाल)
उपजिलाधिकारी,
डुमरियागंज।

23/12/22
24/12/22
24/12/22

सत्यप्रतिलिपि
24/12/22
न्यायालय उपजिलाधिकारी डुमरियागंज
जनपद-सिद्धार्थनगर

न्यायालय उपजिलाधिकारी / उपजिला मजिस्ट्रेट
सिद्धार्थनगर
तहसील-डुमरियागंज